

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

रविन्द्र कुमार

बनाम

दन्मान

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 RTA

प्रकरण संख्या 47 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/138

तारीख हक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
------------	---------------------------------	----------------------------

24/2/25 आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 8/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

~~8/3/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा की स. 1 की ओर से प्रतिक्रिया जमा की गई। वकील शर्मा ने कालतयाप पेश किया। अप्रार्थी स. 2 का नोटिस वाद तामिल धारत हुआ। जो शामिल मिश्रल विवा मया पत्रावली अप्रार्थी स. 2 को खलि नोटिस से तामिल जारी हो पत्रावली दिनांक 8/3/25 को पेश हो।~~

6/10/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा अनुष अप्रार्थी स. 1 अनुपक्रियत। पत्रावली अप्रार्थी स. 2 की तलवी तामिल खलि ए.जी. हो पत्रावली

पार्बिया विनांन 10/11/25 - को पेश
था

10/11/25 - पत्रावली प्रहृटा वसीर सावरी
असावरी स-2 ने परिद वरि
बोधिख पेश करे। पत्रावली विनांन
27/11/25 - को पेश था

27/11/25

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील मय
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
मतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 2/1/26
को पेश हो।

2/1/26 पत्रावली प्रहृटा मूट गाद का
खिलाफ वेन के कारण बस सां
पउ 212 NTA का अब नैरे
औचित्य नही र्हा। अतः हा० पउ
212 NTA बसी स्टट पर र्नागिळ
लिपा लाग है। पत्रावली लिनाइताए
वारिबल पकट घेऊट दनि मळर
से नम है।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़